न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या

16/2019

रूकमणी देवी 1786, दीवान भगचन्द की गली तेली पाड़ा चोड़ा रास्ता जयपुर।
––अपीलार्थी

बनाम

1–लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक
––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 10–6–2019

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई को आवेदन पत्र दिनांक 9–4–2019 प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:–

1–श्रीमान उपखण्ड अधिकारी एंव उपखण्ड मजिस्ट्रेट टोंक जिला टोंक के कार्यालय में सूचना एंव जन सम्पर्क कार्यालय जिला टोंक से प्राप्त समाचार पत्रों की सूची अनुसार मुद्रण स्थान में मुद्राणालयों के नामोनुसार एक लगायत ग्याराह समाचार पत्रों के आगे एक लगायत ग्याराह मुद्राणालय के नामों का उल्लेख है। जिसमें कम सं0 एक विजय आर्ट प्रिन्टर्स टोंक, नव जीवन प्रिन्टर्स, किरण प्रिन्टर्स टोंक, संजय प्रिन्टर्स टोंक, किरण प्रिन्टर्स टोंक, नव जीवन प्रिन्टर्स टोंक एम0बी0 प्रिन्टर्स टोंक, करनानी प्रिन्टर्स टोंक, फाईन प्रिन्टर्स टोंक का उल्लेख है उक्त सभी मुद्राणालय धारक द्वारा मुद्राणालय स्थापित करे जाने के लिए घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है, उक्त घोषणा पत्रों की सत्यापित प्रमाणित प्रतिलिपि पृथक पृथक सत्यापित प्रमाणित कर प्रतिलिपि दिलवाये।
2–पैरा एक में वर्णित सूचना के कम में मुद्रण यंत्र धारक द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र के साथ मुद्रण यंत्र कय के जो बिल बतौर सबूत के तोर पर प्रस्तुत किये गये थे उन बिलों की भी सत्यापित प्रमाणित प्रतिलिपि दिलवायें।
3–घोषणा पत्र तस्दीक किये जाने के पश्चात पेरा एक में वर्णित विजय आर्ट प्रिन्टर्स टोंक, नवजीवन प्रिन्टर्स टोंक किरण प्रिन्टर्स टोंक, संजय प्रिन्टर्स टोंक, किरण प्रिन्टर्स टोंक, नव जीवन प्रिन्टर्स टोंक एम0बी0 प्रिन्टर्स टोंक, करनानी प्रिन्टर्स टोंक, फाईन प्रिन्टर्स टोंक द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र में मौके/बताएं गये यथा स्थान पर मुद्राणालय यंत्र की स्थापना की गई है या नहीं की जॉच की गई थी जिसकी मौके की जॉच रिपोर्ट की सत्यापित प्रमाणित प्रतिलिपि दिलवाएं।

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

अपीलार्थी को उक्त वर्णित आवेदित सूचना समयावधि समाप्त हो जोने के उपरान्त भी उपलब्ध न करवाये जाने पर यह अपील अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा प्रत्यर्थी से प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में जवाब भिजवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी टोंक को न्यायालय के पत्र कमांक 407 दिनांक 16–5–2019 से लिखा गया। उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा पत्र कमांक 1394 दिनांक 30–5–2019 से जवाब प्रेषित किया कि अपीलार्थी द्वारा जो सूचना चाही गई है वह विभिन्न उपखण्डों से सम्बन्धित है जो सूचना सृजित करने की श्रेणी में आती है। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी को भी पत्र कमांक 1208 दिनांक 24–4–2019 से सूचित किया जा चुका है। है। चूँकि आवेदक को सूचना के सम्बन्ध में जवाब भिजवा दिया गया है तथा एक प्रति न्यायालय हाजा में दिये गये जवाब की भी प्रेषित की गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक